मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी
M.P. STATE HAJ COMMITTEE
मध्य प्रदेश शासन

(भारत सरकार के हज अधिनियम 2002 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

Web Site : www.mphajcommittee.com, e-mail : mpshcbhopal@yahoo.in
Haj House, Gram Singarcholi, Behind Gulmohar Gardan, Airport Road, Bhopal-462036 (M.P.)
PH:-0755-2530139 , FAX :- 0755-2538039

REF:MPSHC/37/2023/ 208 DATE : 04/05/2023

प्रति,

जनसम्पर्क आयुक्त,
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषयः—हज—2023 के लिये चयनित हज यात्रियों द्वारा जमा की जाने वाली राशि के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भेजी जा रही है जिसे राज्य के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के समस्त केन्द्रों से प्रसारित कराने बाबत्।

प्रेस विज्ञप्ति

हज कमेटी ऑफ इण्डिया से प्राप्त जानकारी अनुसार हज—2023 हेतु इस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के माध्यम से जाने वाले चयनित हज यात्रियों द्वारा पूर्व में जमा की गई प्रति हज यात्री राशि रूपये (81,800 + 1,70,000)=कुल 2,51,800/— के अतिरिक्त मुम्बई इम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले हज यात्रियों को शेष राशि रूपये 53,043/— जमा करनी होगी जिन हज यात्रियों ने भोपाल इम्बार्केशन पॉइन्ट को हज यात्रा के लिए चुना है उन्हें पूर्व में जमा की गई प्रति हज यात्री राशि रूपये (81,800 + 1,70,000)=कुल 2,51,800/— के अतिरिक्त शेष राशि 1,21,015/— एवं इंदौर इम्बार्केशन पॉइन्ट चुनने वाले हज यात्रियों को पूर्व में जमा की गई प्रति हज यात्री राशि रूपये (81,800 + 1,70,000)=कुल 2,51,800/— के अतिरिक्त शेष राशि 1,06,005/— जमा करनी होगी। उपरोक्त राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो सकती है।

जिन हज यात्रियों ने हज कमेटी के माध्यम से कुर्बानी का विकल्प चुना है, उन्हें उक्त के अतिरिक्त राशि रूपये 16,344/— (सऊदी रियाल 720 SAR) का भुगतान करना होगा। राशि का भुगतान हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध पे—इन—स्लिप का उपयोग करके हज कमेटी ऑफ इण्डिया के भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया या ऑनलाइन hajcommittee.gov.in के या चेक के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

भोपाल, दिल्ली, गया, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, रांची, श्रीनगर और वाराणसी इम्बार्केशन पॉइंटों से जाने वाले से शिया हज यात्रियों जिन्होने MEEQAT के लिए JOHFA को चुना हैं उन्हें उपरोक्त के अतिरिक्त राशि रूपये 24,904/— (सऊदी रियाल 1097.1 SAR) का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार मुंबई, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बंगलुरु, कालीकट, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, कन्नूर, नागपुर और विजयवाड़ा इम्बार्केशन पॉइंटों से जाने वाले से शिया हज यात्रियों जिन्होने MEEQAT के लिए JOHFA को चुना हैं उन्हें उपरोक्त के अतिरिक्त राशि रूपये 26,314/— (सऊदी रियाल 1159.2 SAR) का भुगतान करना होगा। हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा यह भी बताया गया है कि उक्त राशि जमा करने की अंतिम तिथि 15—05—2023 है जो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि भारत से जाने वाले हज यात्रियों की फ्लाईस दिनांक 21—05—2022 से शुरू होने की संभावना है। जिन हज यात्रियों ने हज की पूर्ण राशि जमा नहीं की है उन्हें फ्लाईस में चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हज यात्री राशि जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि जो राशि जमा की जा रही है वह उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार हो।

अधिक जानकारी के लिए हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट www.hajcommittee.com या मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी की वेबसाइट www.mphajcommittee.com पर परिपत्र क्रमांक 13 (हज—2023) का अवलोकन एवं दूरभाष क्रमांक 0755—2530139 पर भी संपर्क किया जा सकता हैं।

(सैयद शाकिर अली जाफरी)
सचिव
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी